Serial No. 3413 Circle:-:Phulwari Sharif Book No. :- 1 Deed No. 3070

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

INDIA

X 238288

बिहार BIHAR

Serial No. 3413 Deed No. 3070

क्रेता का नाम व पता

Govind Kishan Kumar, मुख्तार विकिता
District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 26/03/2018 by/Ajnasho Devi
A Stamp Duty of Rs. 445200/- and other Fees of Rs. 26525/- has been paid in it.
The Document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 3070 in Book No. 1, Volume No. 82 on pages from 41 to 57 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 13 / Year 2018

दस्तावेज की जाँच किया एवं दस्तावेज में अंकित विवरणी के अनुरूप सही पाया।

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Patna

Token No: 3495 /2018

जीप लिपिक
(अरुण कुमार महाराज)

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 26.03.2018.. को

(1) मोसमात् अजनाशो देवी पति का नाम स्व. महेश प्रसाद सिंह

(2) श्री विरेन्द्र कुमार पिता का नाम स्व0 महेश प्रसाद सिंह,

निष्पादक का हस्ताक्षर

SCANNED BY

Scanned by CamScanner

दोनों निवासी ग्राम- दशरथा, पोस्ट- जानकीवाद, थाना- बेउर, जिला- पटना, राज्य- बिहार, नागरिकता- भारतीय जिन्हें आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक तितवद उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हें इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।
मोबाईल नं.-9801189001

एवं

कोसुत बिल्डर्स एण्ड डेवेलपर्स प्रा. लि., निबंधन कार्यालय- चाँदपुर बेला, पोस्ट- जी.पी.ओ., थाना- जक्कनपुर, जिला- पटना, जो कंपनी एक्ट-1956 के अंतर्गत संचालित है, जिसका निबंधन संख्या- U45200BR2008PTC013945 द्वारा प्रबंध निदेशक श्री **कैलाश कुमार** पिता का नाम श्री जवाहर प्रसाद, निवासी चाँदपुर बेला, पोस्ट- जी.पी.ओ., थाना- जक्कनपुर, जिला- पटना, के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हें आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/ उन्नयनकर्ता/ विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रुप में वर्णित है, के बीच सम्पादित हुआ।
मोबाईल - 9334115643

यह कि जमीन मालिक मौजा- पकड़ी, सर्वे थाना- फुलवारी, वर्तमान थाना- बेउर, जिला- पटना के थाना नं- 31, तौजी नं- 5342, खाता नं- 105 (एक सौ पाँच), सर्वे प्लौट नं- 322 (तीन सौ बाईस) एवं खाता नं- 106 (एक सौ छह), सर्वे प्लौट नं- 326 एवं 329 (तीन सौ छब्बीस एवं तीन सौ उनतीस) में कुल एराजी- 7 कट्ठा 14 धुर 10 धुरकी (सात कट्ठा चौदह धुर दस धुरकी) है जो 24.140625 डिसमील के समतुल्य है पर स्वामी के रुप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रुप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची- I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।

यह कि अनुसूची- I में वर्णित सर्वे प्लौट नं.- 326 एवं 329 माधो वो दरोगा पेशरान गजा 1 हिस्सा वहिस्से बराबर करमु वल्द तुलसी महतो 1 हिस्सा वो गनपत वल्द फुलचन्द महतो वो मोनक उर्फ मोन्नका सिंह वल्द कमरू महतो 1 हिस्सा कॉम कुरमी शाकिन-दशरथा के नाम दर्ज है। सभी खतियानी-रैयत दखल कबजे में रहते हुए आपसे में खानगी तौर पर बंट गये, जिसके अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियाँ मोक्का उर्फ मोनक्का सिंह के हिस्से में

निष्पादक का हस्ताक्षर

मिली। जिसपर वे दखल कब्जे में रहते हुए दिनांक 01.06.1970 को स्वर्गवास कर गये।

यह कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पति जमीन मालिकगण की मौरूपी सम्पति है, जो सर्वे खतियान में प्लौट नं.- 322 वकब्जे चिन्तामन महतो वो शोवरन महतो वो शौखी महतो वो भागवत महतो के नाम दर्ज है। सभी खतियानी रैयत आपस में खानगी तौर पर बंट गये, जिसके अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियाँ शोवरन महतो के हिस्से में मिली, जिसपर वे दखल कब्जे में रहते हुए चार पुत्र यथा देवकी सिंह, जलधारी सिंह, नेमधारी सिंह एवं शरणधारी सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अन्तराल में देवकी सिंह, जलधारी सिंह, नेमधारी सिंह एवं शरणधारी सिंह आपस में खानगी तौर पर बंट गये, जिसके अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियाँ नेमधारी सिंह के हिस्से में मिली, जिसपर वे दखल कब्जे में रहते हुए अपने पीछे तीन पुत्र यथा शरधा सिंह, लालबाबु सिंह, मुनक्का सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् तीनों भाई अपने पिता की सम्पूर्ण सम्पतियों पर दखल कवजे में रहते हुए आपस में खानगी तौर पर बंट गये, जिसके अनुसार लेख्य सम्पति सहित अन्य सम्पतियाँ लालबाबु सिंह एवं मुनक्का सिंह के हिस्से में मिली। लाल बाबु सिंह अपने पीछे एक मात्र पुत्र महेश प्रसाद सिंह को छोड़कर स्वर्गवास कर गये। जिसपर महेश प्रसाद सिंह स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल कब्जे में रहते हुए दिनांक 05.06.1997 को अपनी पत्नी मो0 अजनाशो देवी एवं एक मात्र पुत्र विरेन्द्र कुमार को छोड़कर स्वर्गवास कर गये, इस तरह जमीन मालिक एकरारनामा करने का अधिकार धारित करते है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-1 में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर एक वहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधणों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची- I की जमीन पर पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार से

निष्पादक का हस्ताक्षर
श्रीमती अजनाशो देवी
पति-अरेश कुमार
नं. - 26/03/2018

प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरुप वहु मंजिला इमारत वनाएंगे।

2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के वीच इस संवंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से वातचीत चल रही थी और अव डेवेलपर्स ने अंतिम रुप से यह निर्णय लिया है कि वे उक्त सम्पति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते है कि अनुसूची- I में वर्णित जमीन पर वहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रुप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का सम्पूर्ण अधिकार उन्नयनकर्ता एवं जमीन मालीक दोनों पक्षों का रहेगा।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि पी.एम.सी./संबंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत हिस्सा निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाउ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरुप डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तो और बन्धंणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवेलपर को यह स्वीकृत करते है और डेवेलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तो और बन्धंणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची- I में वर्णित है।

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्पलेक्स का

निष्पादक का हस्ताक्षर अंगूठा छाप
नाम
पिता का नाम
पता
दि- 26/02/2018

होंगे और उसका नियमानुकुल सक्षम निबंधन कार्यालय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नही होगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रुप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरुरतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थति में निर्माण कार्य विकापक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

16. यह कि यथावर्णित ''जमीन मालिक का क्षेत्र'' पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका इमारत के पूर्णतया तैयार होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु, फ्लैटों में ''जमीन मालिक का क्षेत्र'' का निर्धारण आपेसी मेल-जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् घर, रास्ता, पम्प, जेनरेटरघर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन मालिक और डेवेलपर दोनों द्वारा आनुपातिक रुप से उपयोग की जाएंगी।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो **पी.एम.सी./ संबंधित प्राधिकार** और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तो और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत है :-

निषादक का हस्ताक्षर

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेंट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पति से संबंधित किसी मामले, मुकद्दमें में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/ lease पर देने या अन्य प्रकार के ओवंटन के लिए खरीदारों एवं lease लेनेवालों से विलेख की शर्तो के अनुरुप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रुप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्तगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रुप से उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

G इमारत कम्पलेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एवज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने 50 प्रतिशत हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने आवंटित करें और

Scanned by CamScanner

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की दूसरे भू-मालिक की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करें तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नही होगी।

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार एक सम्मिलित नक्शा अथवा अलग-अलग नक्शा बनाकर और अगल-बगल की दूसरे व्यक्तियों की जमीन लेकर एक योजना अन्तर्गत या खंड-खंड में योजना बनाकर निर्माण करेंगे और हिस्सा अनुसार हिस्से का बंटवारा एवं विक्रय इत्यादि करेंगे, उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरुरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें सम्मिलित सभी जमीन पर बने ईमारत के लिए होगा जिसे वे जिसे उचित समझे बेचें और ऐसे फ्लैट इकाइयों/tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूलें और अपने खाते में अपने लिए रखें। ऐसी कार्रवाई के लिए किसी भी जमीन मालिक को आपत्ति का अधिकार नही होगा। बंटवारे के अनुरूप एक-दूसरे की जमीन पर बनी ईमारत में भी हिस्सा सम्भावित है, जिसे भी उभय पक्ष स्वीकार करते है।

K. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत के लिए योजना को संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा वचनवद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहें तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शपथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को **पी. एम.सी./सक्षम प्राधिकार** अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत है।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते है :-

(i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नही हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।

(ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।

निष्पादक का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

(iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मुकदमा या व्यवस्था नही चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और जमीन मालिक को दिया हुआ रकम जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होगा।

(iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नही है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नही है।

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नही है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्चे पर चुनौती देंगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नही चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नही है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेंगे।

(vii).कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौप देंगे और जमीन मालिक वचनवद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नही करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपति में अपने हिस्से को वेचने, पट्टा पर देने अथवा निवटान करने का अधिकार होगा।

19. उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के वाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते है वशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। जमीन मालिक को ऐसे खातों, उधारों और आवेदनों को जांच करने का अधिकार होगा।

20.इस उन्नयन मनोवंध की शर्तो के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के वीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवलेपर इमारत कम्पलेक्स में निर्मित क्षेत्र का 50 प्रतिशत विक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवलपर सभी कदम उठाएंगे एवं अपूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

निष्पादक का हस्ताक्षर अंगूठा निशानी
दाएं-बाएं

Scanned by CamScanner

21. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन कोस्ट बिल्डर्स एण्ड डेवेलपर्स प्रा. लि., के नाम से करेंगे और भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम "कैलाश इन्कलेव" होगा और पार्किंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा वहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **पी.एम.सी./सक्षम प्राधिकार** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस जमीन के उन्नयन के लिए जवाब देय होंगे तथा उन्नयन क्रम में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा डेवलपर्स ही इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्य या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित-नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

22. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तो एवं बंधेजों के अनुरुप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन मालिक की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

23. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें हस्तांतरण का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा वहन किया जाएगा।

24. **पी.एम.सी. (पटना नगर निगम)/समक्ष प्राधिकार/मुखिया** द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से छह महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते है अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते है वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इमारत को पुरा न करने के कारण डेवेलपर को आपसी सहमति से आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तो के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

निबंधक कार्यालय अधीन सब-रजिस्ट्रार अधी मुख्यालय, पटना
1. पटना पूर्वी
पंजीयन-संख्या-कुमार
नं. - 2613/2018
26/03/2018

26. डेवेलपर पी.एम.सी./सक्षम प्राधिकार/मुखिया के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलेपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitory कार्यो जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे **पी.एम.सी.** की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवेलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमें में बचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

29. प्रस्तावित इमारत **पी.एम.सी. अथवा सक्षम प्राधिकार/मुखिया** द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यो के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत हैं क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चो की पूर्ति हेतु नियमानुकुल प्राधिकृत है।

अनुसूची-I

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा- पकड़ी, सर्वे थाना- फुलवारी, वर्तमान थाना- बेउर, जिला- पटना के थाना नं- 31, तौजी नं- 5342, खाता नं- 105 (एक सौ पाँच), सर्वे प्लौट नं- 322 (तीन सौ बाईस) एवं खाता नं- 106 (एक सौ छह), सर्वे प्लौट नं- 326 एवं 329 (तीन सौ छब्बीस एवं तीन सौ उनतीस) में कुल एराजी- 7 कट्ठा 14 धुर 10 धुरकी (सात कट्ठा चौदह धुर दस धुरकी) है जो 24.140625 डिसमील के समतुल्य है और यह लेख्य सम्पति पटना नगर निगम के अन्दर एवं अवर निबंधन कार्यालय फुलवारीशरीफ तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है, जिसका लगान मो. 30 रूपया अलावे शेष बिहार सरकार को जमाबंदी संख्या- 7.65./17-18 पर भुगतान किया जाता है, जिसकी चौहद्दी निम्नवत है :-

निष्पादक का हस्ताक्षर
सही-अजनाम की
फा०-मोरंग कुमार
ता.- 26/02/2018

Scanned by CamScanner

चौहद्दी

उत्तर :- परमानन्द सिंह
दक्षिण :- श्री सुरेश प्रसाद सिंह, नरेश प्रसाद, सिंह, रमेश प्रसाद सिंह एवं उमेश प्रसाद सिंह,
पूरब :- श्री-सच्चिदानन्द सिंह
पश्चिम :- सहायक रास्ता एवं रतनप्रिया

नोट :- उपर्युक्त सम्पति वर्ष 2016-17 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं-204, जोन-3 पर अंकित है, जिसका वर्त्तमान बाजार मूल्य मो० 2,22,10,000/- (दो करोड़ बाईस लाख दस हजार) रूपया है।

अनुसूची II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.एम.सी./मुखिया द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।

civil कार्य:- पी.एम.सी./मुखिया द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेंट, (ए.सी.सी.) सोन बालू एवं मसाला।

परिसज्जन :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें तथा भीतरी छत में वॉल पुट्टी का प्रथम सतह एवं बाहर की दीवारें पुट्टी होगी।

दरवाजे :- दरवाजे का ढांचा लकड़ी का तथा मुख्य दरवाजे पर लकड़ी का चौखट तथा दरवाजे का पल्ला प्लाई बोर्ड का होगा।

खिड़कियाँ :- लकड़ी के फ्रेम में पूर्णत: glazed खिड़कियाँ।

फर्श :- आई.एस.आई (2×2) का भिट्रीफाईड टाइल्स फ्लैट के अन्दर समस्त फर्श क्षेत्र में।

शौचालय :- मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद glazed टाइल्स 7' की उँचाई तक सभी शौचालय का साजोसमान ISI ब्राण्ड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरुम का जमीन भिट्रीफाईड टाइल्स का होगा।

रसोई घर :- हरा संगमरमर का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24" उँचा रंगीन glazed टाइल्स।

बिजली व्यवस्था:- मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्वाइंट।

लिफ्ट :- छह व्यक्तियों का भार वहन करने योग्य लिफ्ट उच्च कोटि का ISI Mark होगा।

निष्पादक का हस्ताक्षर अधिकृत प्राधिकारी की
नाम-मोनिश कुमार
पद-
दि. 26/03/2018

Scanned by CamScanner

उपर्युक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है।

पूर्वोक्त finishing केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नही होगा।

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में सोंच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समक्ष लिख दिया कि समय पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण: -

1. सोरभ कुमार
पि० - [illegible]
पो० - अनिसाबाद
थाना - [illegible]
जिला - पटना
दि० - 26/03/2018

सही अगजाहो देवी
बा० - सोरभ कुमार

पथम पक्ष का हस्ताक्षर

2. Deepak Kumar
S/o Late Satrudhan Singh
Vill - Dashratha
P.O - Anishabad
PS - Beur
Date - 26/03/2018

(2) विरेन्द्र कुमार 26/03/2018

द्वितीय पक्ष का हस्ताक्षर

दोनों पक्षों की सहमती पर प्रारुप तैयार किया।

मुद्रित किया:-

(मनोज कुमार)
अधिवक्ता
उद्योगीजी का चैम्बर
समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

26/03/2018
Chamber of (डा०अनिल कुमार सिन्हा "उद्योगी")
अधिवक्ता,
"चैम्बर", समाहरणालय अधिवक्ता संघ,
पटना।

"दस्तावेज में [illegible] मूल [illegible]

Scanned by CamScanner

Certificate of Admissibility

...der Rule 5 : duly Stamped (or exempted from or does not require stamp duty) under the Indian ...899, Schedule I or I-A, No. '05'. Also admissible under section 25(a) of the B. T. Act.

...Duty paid under Indian Stamp Act Rs. 445200/-

...Stamp duty paid under Municipal Rs. 0/-

Amt.Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 1000/-
Amt.paid through Bank Challan	Rs. 470725/-

...gistration Fee

FEE PAID

AI	1000	C	0	H1b	0	K1a	0	Lil	0		
AS	0	D	0	H2	0	K1b	0	Liii	0		
A9	0	DD	0	I	5000	K1c	0	Mb	25		
A10	0	E	20000	J1	0	K2	0	Na	0		
B	0	H1a	0	J2	0	Li	0				
								TOTAL-	26025		

LLR + Proc Fee		Service Charge
LLR	0	
Proc.Fee	0	500
Total	0	

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - 26525

Date: 26/03/2018

Registering Officer
Patna

Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Patna on Monday, 26th March 2018 by Ajnasho Devi Late Mahesh Prasad Singh by profession House Wife. Status - Executant

सही अजनाशो देवी
पति-स्व.महेश कुमार सिंह
26/03/2018

Signature/L.T.I. of Presentant

Date:26/03/2018

Registering Offi
Pa

Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person (Identified by 'Saurav Kumar' age '28' Sex 'M', 'Naresh Prasad Singh', resident of 'Dasratha,anishabad,patna'.), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Registering

Date : 26/03/2018

Endorsement of Certificate of Registration under section 60

...egistered at Registration Office Patna in Book 1 Volume No. 82 on pages on 41 -57, for the year 2018 and ...D volume No. CD-13 year 2018 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Registerin

Scanned by CamScanner

बिहार सरकार

View GRN Details Live

Download e-Challan

GRN	: BHR2018030875151M VIEW
DSRO CODE	2800
Party Name	Kosut Builders and Developers Pvt Ltd
Stamp Duty-(R0030021030001)	444200
Registration & Other Fees-(R0030031040001)	26025
LLR & Proc Fee-(R0029008000006)	0
Challan Total Amount	470225
Status	**Success**
Payment Date	2018-03-23 16:46:35.0
CIN	null

Powered by IL&FS Technologies Lt

Scanned by CamScanner

Serial No. 1707 Circle-1-Phulwari Sharif Book No. :- 1 Deed No. 1527



X 224529

बिहार BIHAR

Serial No. 1707

Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **17/02/2018** by **Sangeeta Chaturvedi**
A Stamp Duty of Rs. **120200/-** and other Fees of Rs. **26525/-** has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **1527** in Book No. **1**, Volume No. **42** on pages from **161** to **178** and Instrument preserved in total **18** pages in C.D. No. **7** / Year **2018**

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, **Patna**

Date: 17/02/2018 Token No: **1736/2018**

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

निष्पादक का हस्ताक्षर

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 17.02.2018 को श्रीमती संगीता चतुर्वेदी पति का नाम श्री खुशीलाल महतो, निवासी- शिवम् हॉस्पीटल, 70 फीट रोड, महावीर नगर, पोस्ट-

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

Deed 238289

Serial No. 3414 क्रमांक

क्रेता का नाम व पता

Govt. of Bihar

District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 26/03/2018 by Suresh Prasad Singh

A Stamp Duty of Rs. 445200/- and other Fees of Rs. 26525/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 3071 In Book No. 1, Volume No. 82 on pages from 58 to 74 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 13 / Year 2018

Signature with Date

(Satya Narayan Choudhary)

Registering Officer, Patna

Token No: 3494 /2018

दस्तावेज की जाँच किया

Date: 26/03/2018 प्रतुष्ठ सही पाया।

मैं कौशल वर्मा निष्पादक

लिपिक

(अरुण कुमार पंकाराज)

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 26:03:2018 को

(1) श्री सुरेश प्रसाद सिंह,

(2) श्री नरेश प्रसाद सिंह,

निष्पादक का हस्ताक्षर 26/3/2018

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

INDIA

X 160304

BIHAR

Serial No. 3546

क्रमांक 19885 ता० 23 किमत 1M वास्ते

क्रेता का नाम एवं पता

Deed No. 3281

Govt. of Bihar

District Registry

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 27/03/2018 by Abhimanyu Prasad.

A Stamp Duty of Rs. 750400/- and other Fees of Rs. 21500/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 3281 in Book No. 1, Volume No. 87 on pages from 241 to 257 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 13 / Year 2018

Token No: 3712 /2018

Signature with Date

(Satya Narayan Choudhary)

Registering Officer, Patna

SCANNED BY

उन्नयन मनोबंध

(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 27.03.2018 को श्री अभिमन्यु प्रसाद पिता का नाम स्व. भगवान प्रसाद, निवासी

निष्पादक का हस्ताक्षर

अभिमन्यु प्रसाद

27-3-18

S KOSUT BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

Scanned by CamScanner

Serial No. 3988 Circle:-Phulwari Sharif Book No. :- 1 Deed No. 3588



बिहार BIHAR X 238303

Serial No. 3988 क्रमांक 27259 तिथि 26.3.18 Deed No. 3588

क्रेता का नाम व पता

Govt. of Bihar
District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **30/03/2018** by **Prahlad Kumar Verma**
A Stamp Duty of Rs. **195400/-** and other Fees of Rs. **26525/-** has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. **3588** in Book No. **1**, Volume No. **95** on pages from **323** to **339** and has been preserved in total **17** pages in C.D. No. **15** / Year **2018**

Signature with Date
(Satya Narayan Choudhary)
Registering Officer, Patna

Date: 30/03/2018 Token No: 4082/2018

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 30.03.2018 को श्री प्रहलाद कुमार वर्मा पिता का नाम श्री भगवान प्रसाद, निवासी महल्ला- रामलखन महतो रोड, पुरानी जक्कनपुर, थाना-

निबंधक का हस्ताक्षर

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

क्र० सं० 3322 569834

क्रेता का नाम एवं पता

Serial No. 59 Deed No. 5405

Govt. of Bihar

District Registry Office ,Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 12/06/2017 by Binod Kumar Singh

Stamp Duty of Rs. 553200/- and other Fees of Rs. 26525/- has been paid in it.

The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.

The document has been registered as Deed No. 5405 in Book No. 1, Volume No. 121 on pages from 281 to 297 and has been preserved in total 17 pages in C.D. No. 19 / Year 2017

बिहार सरकार

Date: 12/06/2017 Token No: 6255/2017

Signature with Date
(Prashant Kumar)
Registering Officer, Patna

दस्तावेज की जाँच किया एवं दस्तावेज में अंकित वर्णित विवरणी के अनुरूप सही पाया।

जाँच लिपिक
(अरुण कुमार महराज)

SCANNED

उन्नयन मनोबंध
(Development Agreement)

यह डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट आज दिनांक 12.06.2017 को श्री बिनोद कुमार सिंह पिता का नाम स्व. रघुवर दयाल सिंह, निवासी

M/S KOSUT BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

Managing Director

निष्पादक का हस्ताक्षर

Binod Kumar Singh

Scanned by CamScanner

Book No. :- 1 Deed No. 21066

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

बिहार BIHAR 192333

Serial No. 21066 Deed No. 21066

क्रेता का नाम एवं पता

Govt. of Bihar, पटना बिक्री

District Registry Office, Patna

Summary of Endorsement

This document was presented for registration on 30/07/2013 by Binod Kumar Singh
A Stamp Duty of Rs. 112560/- and other Fees of Rs. 30144/- has been paid in it.
The document was found admissible. The Names, Photographs, Fingerprints and Signatures of the Executants and their Identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.
The document has been registered as Deed No. 21066 in Book No. 1, Volume No. 461 on pages from 585 to 597 and has been preserved in total 13 pages in C.D. No. 71 / Year 2013

Signature with Date
(Ashok Kumar Thakur)
Registering Officer, Patna

Date: 30/07/2013 Token No: 22504 /2013

SCANNED

॥ ॐ ॥

निर्विवाद बिक्रय पत्र

यह निर्विवाद विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में आज दिनांक 30.07.2013 को निष्पादित करते है।

M/S KOSUT BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD.

Managing Director

Scanned by CamScanner

रसीद मालगुजारी नाम सर्कल। नाम मौजामय थाना वो थाना नम्बर। 126 V परत मालकान/परत रसती। 1/2 नाम रैयतमय सल्दगत जमाबन्दी। वो मकबूजा। नम्बर 0406899

[illegible]	[illegible]

अराजी नकदी 31 अराजी भावली [illegible] लगान भावली।

1.51	[illegible]

जोत का सालाना जांगमय तफसील (बकाया वो हाल) [illegible]

2017-18 मांग बाबत		सालाना	बकाया तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया 3रा वर्ष।	बकाया 2रा वर्ष।	बकाया 1ला वर्ष।	हाल
माल- गुजारी	(नकदी)	10				30	10
	(भावली)	15				30	15
सेस		15				30	15
*सूद		10				30	10
मुतफरकात							
मीजान		50				150	50

तफसील अदायकारी। 200

2017-18 अदायकारी बाबत		बकाया तीन वर्ष से ज्यादा	बकाया 3रा वर्ष।	बकाया 2रा वर्ष।	बकाया 1ला वर्ष।	मोतालबा हाल	फाजिल
माल- गुजारी	(नकदी)				30	10	
	(भावली)				30	15	
सेस					30	15	
*सूद					30	10	
मुतफरकात					30	10	
मीजान अदायकारी					150	50	

दीहि (illegible)

(1) मीजान कुल (लफ्जों में) 6
(2) नाम देहिन्दा --
(3) कुल बकाया --

दस्तखत वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

SPL-16/17

दीहि
71
105
106

(illegible)
645-326
647
612
322
328

M/S ROSUT DIAMONDS

Managing Director

Scanned by CamScanner

कार्यालय :– अंचलाधिकारी फुलपरास, मधुबनी, पटना

पारिवारिक सूची प्रमाण पत्र

क्रमांक120–..... दिनांक ...14-7-16.....

राजस्व कर्मचारी / अंचल निरीक्षक, फुलपरास अंचल द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन एवं आवेदक / आवेदिका के शपथ पत्र सं0 ...2197–..... दिनांक 05-07-16..... एवं संलगन मृतक के मृत्यू प्रमाण प्त्रके आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि अवेदक / आवेदिक श्री / श्रीमतिं / सुश्री ...विरेन्द्र कुमार..... मुहल्ल पोस्ट ...अनिसाबाद..... थाना ...बेनीपट्टी..... जिला–पटना के माता / पिता / पत्नी स्व0 ...गहेश प्रसाद सिंह..... का देहान्त दिनांक 05-6-1997 को हो गई है। मृतक के मरणोउपरान्त उनके परिवार में निम्नलिखित सदस्य है :–

क्रमांक	सदस्य का नाम	उम्र	संबंध	विवाहित / अविवाहित
1	मौ0 अजनाखो देवी	65–	पत्नी	विधवा
2	विरेन्द्र कुमार	31–	पुत्र	विवाहित
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Scanned by CamScanner

DEVANAND PRASAD
NOTARY
GOVT. OF INDIA
DISTRICT PATNA

COURT FEE
JUDICIAL
0000100
15.6.2016
BIHAR
INDIA

शपथ-पत्र

मैं, विरेन्द्र कुमार, पिता स्व0 महेश प्रसाद सिंह, ग्राम- दयारथा, पो0 जनिसाबाद, थाना- बेल्ल, जिला पटना (बिहार) का निवासी हूँ।

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मेरे परिवार का वंशावली निम्न प्रकार है।

स्व0 नेमधारी सिंह

स्व0 दयारथा सिंह | स्व0 बाबू बाबू सिंह | स्व0 मुन्नका सिंह

स्व0 महेश प्रसाद सिंह

पत्नी अक्लासो देवी

विरेन्द्र कुमार

2. यह कि उपर लिखी गयी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य है।

DEVANAND PRASAD
Regd. No. 5411/1
NOTARY
Govt. of Bihar
INDIA
DISTRICT PATNA

विरेन्द्र कुमार
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

I identify the deponent/executant who has signed/put L.T.I. in my Presence.

Scanned by CamScanner

Sch. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी।

जिला गजेटियर, पन्ना।

Vकस्ब देहात

20.9.88

स्नातन

37

105

106

तफसील हिसाब लगान गाफिले

+ साबिक

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया व हाल) मौजूदा साल का।

मद बाबत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	
माल (बकदी)	25.03				53.20	25.03
गुजारी (भावली)	6.42				51.3	6.42
सेस ...	12.87				12.87	12.87
*सूद ...	12.87				12.87	12.87
मुतफरकात ...	2.20				3.60	2.20
मीजान	63.53				108.24	63.53

तफसील अदायकारी

अदायकारी बाबत।	बकाया				मोतालबा हाल।	वाजिब
	तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।		
माल- (बकदी) गुजारी (भावली)				25.10	12.87	
सेस ...				3.12	3.28	
सूद ...				52.04	6.42	
मुतफरकात ...				2.04	6.42	
अदायगी				2.20	2.20	
				45.00		
				125.80	31.19	

52.6.15

(१) जिन्स में लफ्जों में पांच सौ बावन रुपये तीन आने

(२) नकद देहिन्दा सालवा हाल

(३) कुल बकाया—

दस्तखत या तारीख अमला तहसील कुनन्द

*खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि साहूकारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

Managing Director

Scanned by CamScanner

DEVANAND PRASAD
DISTRICT PATNA
Govt. of Bihar
INDIA

0000100 25.6.2016

DEVANAND PRASAD
NOTARY PUBLIC, PATNA

शपथ-पत्र

मैं, सौरभ कुमार, पिता का नाम श्री नरेश प्रसाद सिंह, ग्राम-पचारथा, पो० अनिसाबाद, थाना-बेलदार, जिला पटना (बिहार) का निवासी हूँ।

शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह कि मेरेपरिवार का वंशावली निम्न प्रकार है

स्व० भगधारी सिंह

स्व० पचारथा सिंह	स्व० लाल बाबू सिंह	स्व० मुन्नका सिंह

स्व० मुन्नका सिंह

सुरेश प्रसाद सिंह	नरेश प्र० सिंह	रमेश प्र० सिंह	उमेश प्र० सिंह
पंकज कु० रंजन कुमार	सौरभ कु० गौरव कु०	उज्जवल	आशुतोष कुमार

2. यह कि उपर लिखी गयी सारी बातें हमारी जानकारी में सही एवं सत्य

सौरभ कुमार
शपथकर्ता का हस्ताक्षर

DEVANAND PRASAD
DISTRICT PATNA
Regd. No. 5411/1
NOTARY
Govt. of Bihar
INDIA

I identify the deponent/executant who has signed/ Put A.T.I. in my Presence.

Scanned by CamScanner

गोपनीय प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

सुरेश प्र० सिंह, भ्र० उमेश प्र० सिंह (भ्र-स्वामित्व प्रमाण-पत्र)

नाम सोमा प्र० सिंह, उमेश प्र० सिंह ग्राम टि० शिवपुरा

थाना पैगर जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	तौजी संख्या	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
पकड़ी 31		71 105 106	511 812 647 332 326	1 -	26 1/4

अ० अ०

आवेदक/पक्ष के नाम से जमाबंदी
की भूमि अंतर्गत [illegible] के आय-व्य
के दृष्टि देखने से ऐसे ऊपर के रू
लगान की 347-8 रू पुरा
अतः आवेदक/पक्ष
से प्रदत्त प्रमाण पत्र निरस्त किए
जाने हेतु।

सोमा प्र० सिंह
सोमा प्र० सिंह
सोमा प्र० सिंह
सोमा प्र० सिंह
आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय अंचल अधिकारी

कर्मचारी का प्रतिवेदन

Scanned by CamScanner